

राजस्थान सरकार  
न्याय विभाग

कमांक प.2(6) मुल्यांकन/न्याय/2023/

दिनांक: 27.03.2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव/  
शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष  
जिला कलक्टर  
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

**विषय:-** लाईट्स सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित/इन्द्राज/अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लाईट्स सॉफ्टवेयर में प्रशासनिक/यूनिट(विभागाध्यक्ष)/कार्यालय स्तर प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु निम्न फीचर्स विविध शीर्षको के अन्तर्गत जोड़े गये हैं:-

1. Dashboard > Talking Point :-

- A. राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित जवाब के ऐसे प्रकरणों की संख्या जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- B. स्थगन आदेश
  - i. राज्य सरकार के पक्ष में
  - ii. राज्य सरकार के विरुद्ध
- C. **CNR (Case Number Record) Not Updated**
  - i. High Court Jaipur
  - ii. High Court Jodhpur
  - iii. Sub Ordinate Court
- D. **Document Not uploaded (Cases registered after 01.08.2017)**

2. Dashboard > Attention Warranted में Approved Reply Submitted to Lawyer (More than One year) एवं Reply not filed (Except Contempt) 3 month to 1 year and more than one year प्रदर्शित किए गए हैं।

3. Dashboard > Evaluation में समको पर हाईपर लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।

4. Summary Report > Deficiency Report में **Approved Reply Submitted to Lawyer** एवं **Stay in Govt. Favour, Stay Against Govt.** के कॉलम जोड़कर समको पर हाईपर लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।

5. यूनिट(विभागाध्यक्ष)/कार्यालय स्तर, प्रभारी अधिकारी के लॉगिन पर Case Management के (F3) में **Approved Reply Submitted to Lawyer** के इन्द्राज/अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में उक्त सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन विशिष्ट सचिव